विषय :—हरियाणा भवन नई दिल्ली में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट विशेष प्रतिनिधि द्वारा लिखने बारे।

क्या मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (न्यायचार एवं प्रचार शाखा में) कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पृष्ठांकन क्रमांक 31/1/9-1 पी0 पी0-78/4333, दिनांक 28-8-78 तथा अशा: क्रमांक 31/1/9-1 पी0 पी0-78, दिनांक 3-1-79 की ओर ध्यान देंगे ?

2. उपर्युक्त पत्रों के साथ उन द्वारा भेजे गये इस प्रस्ताव से यह विभाग सहमत है कि हरियाणा भवन में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट विशेष प्रतिनिधि हरियाणा द्वारा भी लिखी जाएं । अब चूंकि विशेष प्रतिनिधि हरियाणा के पद पर अति उच्च दर्जे के अधिकारी नियुक्त हैं अत: उनके अ0 शा0 क्रमांक 31/1/9-1 पी0 पी0-78 दिनांक 3-1-79 के साथ भेजे गये विशेष प्रतिनिधि के पत्र क्रमांक एस0 आर0-78/2376, दिनांक 26-10-78 के कालम में 5 में बताई गई proposed channel writing of A.C.R. में इस हद तक संशोधन कर लिया जाए कि हरियाणा भवन के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट Special Representative-cum-Additional Chief Secretary to Govt. Haryana से अन्त में लिखवाई जाएंगी अर्थात वह Special Representative-cum-Additional Chief Secy. to Govt., Haryana इन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने के सिलसिले में final accepting authority होंगे।

3. चूंकि Special Representative-cum-Additional Chief Secretary महोदय ने इस पद का कार्यभार हाल ही में सम्भाला है इसलिये इन द्वारा 1976-79 की ACRs नहीं लिखी जानी। अत: वर्ष 1978-79 की गोपनीय रिपोर्ट विशेष प्रतिनिधि के पत्र क्रमांक एस0 आर0-78/2376, दिनांक 26-10-78 के column पांच में सुझाये गए प्रस्तावानुसार ही लिखी जायेंगी और भविष्य में इन कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट उपरोक्त पैरा-2 के अनुसार लिखी जायेंगी।

4. उनसे अनुरोध है कि मामले में आवश्यक हिदायतें सभी सम्बन्धित विभागों को जारी कर दें और उसकी एक प्रति इस विभाग को भी भेज दें।

हस्ता/-

अवर सचिव, प्रशासन

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति विशेष प्रतिनिधि-कम-अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा भवन, कॉपरनिकस रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।